ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन/पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

जिला– कुशीनगर
विकास खण्ड– विशुनपुरा
ग्राम पंचायत– मुजौली
समिति का प्रकार (एकल/बहुल)–

आज दिनांक 06/12/23 को ग्राम पंचायत मुजौली के गांव मुजौली में एक बैठक सम्पादित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए–

आज की बैठक में ग्राम पंचायत मुजौली से सम्बन्धित एकल/बहुल ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित सदस्यों को समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया।

क्र0 सं0	नाम	मोबाइल नम्बर	(महिला/SC/ST)	आयु	पद	हस्ताक्षर
1	विनय कुमार शुक्ला	9415153266	सा०	40	अध्यक्ष	विनय कुमार शुक्ला
2	शम्भु प्रताप [illegible]	9838083803	SC	47	सचिव	[signature]
3	मीना	9565972301	SC	45	सदस्य	[thumb impression] मीना
4	मुनेश	9118655199	पि०	65	सदस्य	मुनेश
5	गोविन्द	8948107621	SC	55	सदस्य	गोविन्द
6	रविश	754123371 (93)	पि०	52	सदस्य	रविश
7	सुनील	9914999112	पि०	40	सदस्य	सुनील
8	सुरेश	6302098142	पि०	50	सदस्य	सुरेश
9	रमावती	8052515011	पि०	70	सदस्य	[thumb impression] रमावती
10	राजेश्वरी	8052651705	पि०	70	सदस्य	राजेश्वरी
11	धर्मेन्द्र	9388484313	पि०	45	सदस्य	धर्मेन्द्र
12	आदित्य	638664383	"	38	सदस्य	आदित्य
13	रघुनन्द	9919057840	OBC	29	सदस्य	रघुनन्द
14	श्रीकान्त	9450468722	"	35	सदस्य	हेमन्त
15	हेमन्त	8052090210	सा०	40	सदस्य	ओंकार
16	ओंकार	7897169161	सा०	42	सदस्य	श्रीकान्त
17	ईश्वर	9689123142	सा०	50	सदस्य	ईश्वर

[Stamp: ... ग्रामीण विकास समिति ... जल ...] [signature]

विनय कुमार शुक्ला

उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

1. हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को एफ०एच०टी०सी० प्रदान कराना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बस्तियों से दूर स्थित छिट-पुट घरों को भी एफ०एच०टी०सी० प्राप्त हो।
2. जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वी०ए०पी०) की तैयारी सुनिश्चित करना।
3. गाँव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख–रखाव करना और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना।
4. केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एस०डब्लू०एस०एम० द्वारा यथा– निर्धारित एजेंसियों/ विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/ वस्तुओं/ सामग्री का प्रापण करना।
5. अत: ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा–स्थिति 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है।
6. स्त्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुन: उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंत: ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
7. सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख–रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/ ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही–खाता बनाया जाए।
8. उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएं और उसका रख–रखाव करें, जो नकदी और/या वस्तु और/या श्रम के संदर्भ मे सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत, प्रचालन एवं रख–रखाव लागत/ जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
9. पी०आर०ए० गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
10. जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना।
11. स्थानीय जल स्त्रोतों सहित अत: ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी लेना।
12. ग्राम पंचायत/ ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
13. योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
14. अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
15. एक वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त/ रिकॉर्ड रखना।
16. फील्ड जॉच किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय–समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार–प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं/ छात्रों/ महिलाओं को नियोजित/ प्रशिक्षित करना।
17. राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है।

अंत मे बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

हस्ताक्षर एवं मोहर
सचिव

हस्ताक्षर एवं मोहर
ग्राम प्रधान

आई०एस०ए० का नाम–
आई०एस०ए० कार्मिक का नाम व मोबाइल नम्बर–

Scanned with OKEN Scanner